

इलेक्ट्रॉनिक रद्दीकरण पर्ची (ईसीएस)-सामान्य उपयोगकर्ता



स्टेशन से

बोर्डिंग

स्टेशन तक

MANGALURU CNTL - MAQ
(MANGALURU)

MANGALURU CNTL (MAQ)

KOTTAYAM (KTYM)

प्रारंभ दिनांक* 09-Jan-2025

प्रस्थान* N.A.

आगमन* N.A.

पीएनआर

ट्रेन नंबर/नाम

श्रेणी

4730678286

16348 / TRIVANDRUM EXP

शयनयान (SL)

कोटा

दूरी

बुकिंग की तिथि

साधारण (GN)

474 किमी

22-Nov-2024 21:23:46 HRS

यात्री विवरण

#	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	GANESH	18	पु०	RAC/119	CAN

परिवर्णी शब्द:

RLWL: रिमोट स्थान प्रतीक्षा सूची

PQWL: जमा कोटा प्रतीक्षा सूची

RSWL: रोड साइड प्रतीक्षा सूची

ट्रांजेक्शन संख्या: 100005400872029

भारतीय रेल यात्रा की लागत का औसतन केवल 57% वसूल करती है।

भुगतान विवरण

एकत्र कुल किराया	₹ 285.00
निरस्तीकरण शुल्क	₹ 60.00
यात्रा बीमा वापसी राशि	₹ 0.36
रिफंड कुल राशि	₹ 225.36

लागू पीजी शुल्क (अतिरिक्त)



• धोखाधड़ी ग्राहक सेवा नंबर से सावधान रहें। किसी भी सहायता के लिए केवल IRCTC ई-टिकटिंग ग्राहक सेवा नंबर: 14646 का उपयोग करें।

आईआरसीटीसी सुविधा शुल्क प्रति ई-टिकट पर लिया जाता है, भले ही टिकट पर यात्रियों की संख्या कितनी भी हो।

* मुद्रित प्रस्थान और आगमन समय परिवर्तन के अधीन है। सही प्रस्थान, आगमन समय की जानकारी के लिए कृपया रेलवे स्टेशन पूछताछ से संपर्क करें या 139 डायल करें या 139 पर RAIL एसएमएस करें।

- यह टिकट एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी पर बुक किया गया है, इसकी बिक्री/खरीद रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।
- यात्रा करते समय एसएमएस/वीआरएम/ईआरएस के साथ निर्धारित मूल पहचान पत्र की आवश्यकता होती है अन्यथा इसे बिना टिकट माना जाएगा और रेलवे नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा।



IRCTC Tent City, Prayagraj

10 January, 2025 - 28 February, 2025

Join IRCTC in this
incredible congregation of tradition, devotion
and enlightenment!

Book Now

www.irctctourism.com/mahakumbhgram

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण:

चालान संख्या: PS24473067828622 पता: Indian Railways New Delhi

आपूर्तिकर्ता की जानकारी:

एसएसी कोड: 996421 जीएसटीआईएन: 07AAAGM0289C1ZL

प्राप्तकर्ता की जानकारी:

जीएसटीआईएन: NA

नाम: NA

कर योग्य राशि: 282

पता:

सीजीएसटी दर:	2.5%	सीजीएसटी राशि:	0.0
एसजीएसटी/यूजीएसटी दर:		एसजीएसटी/यूजीएसटी राशि:	
आईजीएसटी दर:	5.0%	आईजीएसटी राशि:	0.0

कुल कर:

आपूर्ति का स्थान: NA आपूर्ति कर्ता का नाम / राज्य कोड : Delhi/DL

निर्देश:

- निर्धारित मूल पहचान पत्र हैं: - मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र। केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासन, नगर निकाय और पंचायत प्रशासन जिन पर सीरियल नंबर उपलब्ध हो / मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी किए गए अपने छात्रों के लिए फोटो के साथ पहचान पत्र / फोटो के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / लैमिनेटेड फोटोग्राफ के साथ बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड / विशिष्ट पहचान पत्र "आधार", एम-आधार, ई-आधार / यात्री द्वारा अपने डिजिटल कार्ड खाते में लॉग इन करके "जारी किए गए दस्तावेज़" अनुभाग से आधार / ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को पहचान का वैध प्रमाण माना जाता है। (उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ अर्थात् "अपलोड किए गए दस्तावेज़" अनुभाग में उपलब्ध दस्तावेज़ को पहचान के वैध प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा)।
- पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले पीएनआर चार्ट पर नहीं दिखेंगे और बुकिंग राशि का रिफंड टिकट बुकिंग के भुगतान के लिए उपयोग किए गए खाते में स्वतः जमा कर दिया जाएगा। पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई-टिकट को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि, आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची / कन्फर्म और आरएसी टिकट यात्रियों के नाम चार्ट में दिखाई देंगे।
- यदि रद्दीकरण/चार्टिंग के समय टिकट प्रतीक्षा सूची में रहता है तो एसी श्रेणी के लिए प्रति यात्री 60 रुपये तथा जीएसटी तथा गैर एसी श्रेणी के लिए प्रति यात्री 60 रुपये क्लर्कज शुल्क काटा जाएगा।
- पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई-टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट रहित माना जाएगा।
- टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें यदि (a) आंशिक प्रतीक्षा टिकट पर कुल यात्रियों से कम यात्रियों ने यात्रा की हो (b) एसी काम नहीं करने पर, (c) निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए निर्धारित समय में ऑन लाइन टी डी आर दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।
- एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दशा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षा सूची में है तो कन्फर्म यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पश्चात किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा कि ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।
- ट्रेन के 3 घंटे से अधिक लेट होने की स्थिति में, रेलवे रिफंड नियमों के अनुसार रिफंड तभी स्वीकार्य है, जब उपयोगकर्ता द्वारा बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले टीडीआर दाखिल किया गया हो और यात्री ने यात्रा नहीं की हो।
- ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरी तरह रद्द होने की स्थिति में, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से पूरा रिफंड दिया जाता है। हालांकि, अगर ट्रेन आंशिक रूप से रद्द हो जाती है या डायवर्ट हो जाती है और बोर्डिंग/गंतव्य स्टेशन को नहीं छूती है, तो यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना आवश्यक है।
- कभी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी निजी आईडी का प्रयोग कर रहे हैं उनसे ई-टिकट न खरीदें। इस तरह की टिकट भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अनुच्छेद 143 के तहत रद्द करने और बिना धनवापसी किए जब्त करने योग्य होगी। अधिकृत एजेंट की सूची www.irctc.co.in पर 'एनगेट एजेंट खोजें' विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध है।
- ई - टिकटिंग सेवाओं के विवरण, नियम और शर्तों, रिफंड के नियम, यात्रा बीमा सुविधा आदि के लिए कृपया www.irctc.co.in देखें।
- इस टिकट को बुक करते समय, आपने अपनी यात्रा के गंतव्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को पढ़ने की सहमति दी है। आपको फिर से सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गंतव्य राज्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सलाहकार को स्पष्ट रूप से पढ़ें और उनका ठीक से पालन करें।
- एफआईआर फॉर्म ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ, ट्रेन गार्ड और ट्रेन एस्कॉर्टिंग आरपीएफ/जीआरपी स्टाफ के पास उपलब्ध हैं।
- 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुझाव एवं शिकायत के लिये कृपया टोल फ्री नंबर 1800-111-321 (07.00 बजे से 22.00 बजे) पर संपर्क करें।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) टोल फ्री नंबर: 1800-11-400 या 14404
- आप यूटीएस एप से या रेलवे स्टेशनों में स्थित एटीवीएम (स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन) से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं।
- आर बीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, टिकट का रिफंड उसी बैंक खाते में दिया जाना चाहिए, जिसका उपयोग बुकिंग के लिए किया गया था। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला बैंक खाता यात्रा की तारीख से कम से कम 30 दिन बाद तक बंद नहीं होना चाहिए। यदि रिफंड की प्रक्रिया के समय खाते बंद पाए जाते हैं, तो बैंक रिफंड के लिए खेद व्यक्त करेगा।


ग्राहक देखभाल:

- ई-टिकट बुकिंग, कैन्सलेशन और रिफंड सहायता के लिए कृपया हमसे संपर्क करें: 14646 / 08044647999 / 08035734999 या प्रश्न उठाने के लिए <https://equerry.irctc.co.in> पर जाएं।
- रेलवे पूछताछ के लिए एवं रेल मदद पर सुझाव देने/शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया हमसे 139 पर संपर्क करें या 139 पर RAIL एसएमएस करें।
- ई-कैटरिंग के लिए, खाना बुक करने और अपनी ट्रेन की बर्थ पर खाना पहुंचाने के लिए, कृपया हमसे 1323 (24*7 घंटे टोल फ्री) पर संपर्क करें या www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें।

Amount Deducted? Ticket Not Booked?

No Worries! Reuse the deducted amount for your next booking with IRCTC i Pay

*T&C Apply



अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हैं
If you are a victim of cybercrime



Helpline No. 1930
and register your complaint at
www.cybercrime.gov.in

[बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापे ! \[X\]](#)